न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः सुश्री अंजु शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 141/2022

उनवान

विजय कुमार गोदपुत्र तोलाचन्द जाति पंचाल निवासी चन्दुजी का गडा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा हाल निवासी गोपीनाथ का गडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

(1) श्रीमति कस्तुरी पुत्री श्री तोलाचन्द जाति पंचाल उम्र वयस्क निवासी जौलाना तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।

(2) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 21.5.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 01 के संयुक्त खाते कब्जे और आधिपत्य की कृषि भुमि खाता संख्या 74 (नया) 51 (पुराना) के संवत 2075—2078 के अनुसार सर्वे नम्बर 112 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 121 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 124 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 3617/110 रकबा 0.13 हे0, सर्वे नम्बर 3619/111 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 3621/113 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 3623/116 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 3625/117 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 3627/117 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 3629/120 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 3631/122 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 3633/125 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 3635/126 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 3637/128 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 3639/129 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 3641/139 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 3643/147 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 3646/179 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 3648/2978 रकबा 0.04 हे0, सर्वे नम्बर 3649/53 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 3651/616 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 3653/96 रकबा 0.08 हे0 कुल किता 24 रकबा 0.82 हे0 भूमि वाके ग्राम गोपीनाथ का गडा तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज) मे स्थित उक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 01 के संयुक्त खाते एवं कब्जे की कृषि भूमि है जो कि उन्हे उनके पिता स्व. श्री तोलाचन्द पिता कोदर पंचाल निवासी गोपीनाथ का गडा से प्राप्त हुई है एवं वादी कानुनन श्री तोलाचन्द का गोदपुत्र है एवं गोदपुत्र बनकर उनकी सेवा चाकरी की है एवं गांव चन्दुजी का गडा मे उनके साथ रहकर व्यापार एवं निवास किया है। खातेदार स्व. तोलाचन्द की मृत्यु हो चुकी है एवं स्व. तोलाचन्द की मृत्यु के बाद उक्त बताई कृषि भुमि वादी, प्रतिवादी नम्बर 01 एवं उनकी माता श्रीमती धुली पत्नि स्व. तोलाचन्द के साथ जरिये नामान्तरकरण खोलना था परन्तु प्रतिवादी नम्बर 01 ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर [illegible] नामान्तरकरण नम्बर 539 दिनांक 23/11/2010 को अपनी माता श्रीमती धु[illegible] प्रतिवादी नम्बर 01 ने अपने नाम से मोटेशन खुलवा लिया है एवं वादी को [illegible] नहीं दी गई और वादी को सुने बिना उक्त मोटेशन खोला गया है जबकि वादी स्व. श्री तोलाचन्द का पुत्र है, जिस[illegible] राजकीय पत्रो, दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदी मे दर्ज [illegible]। फिर भी वादी को बिना बताये प्रतिवादी नम्बर 01 ने तोलाचन्द की मृत्यु होने पर अपने आपको स्व. तोलाचन्द खातेदार का एकमात्र वारिस बताकर स्व. तोलाचन्द की पत्नि श्रीमति धुली के साथ अपने नाम का मोटेशन खुलवाया गया है जो कानुनन विधि विरूद्ध होकर काबिल निरस्ती है। वादी स्व. तोलाचन्द का गोदपुत्र होने से कानूनन स्व. तोलाचन्द की सम्पत्ति मे हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम एवं हिन्दु लॉ के अनुसार उसका भी हक और अधिकार है एवं राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.05.27 11:09:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

रिकार्ड मे स्व. तोलाचन्द की मृत्यु के बाद उसका खाता दर्ज रिकार्ड होना था परन्तु ऐसा नही हुआ है एवं बिहाइन्ड द पार्टी मोटेशन खोला गया है जो काबिल निरस्ती है। वादी स्व. तोलाचन्द का गोदपुत्र होने से उसका सहखातेदार के रूप मे खातेदार कृषक घोषित करने हेतु यह वाद पत्र धारा 88 रा.का.अ. तथा प्रतिवादी नम्बर 01 ने वादी के उसकी उक्त सम्पत्ति मे निहित अधिकार व हक [illegible] के उद्देश्य से उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने [illegible] के लिए उतारू है, जबकि प्रतिवादी नम्बर 01 को कानुनन ऐसा करने [illegible] हक एवं अधिकार नही है । इसलिए प्रतिवादी नम्बर 01 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की वह वादी की अनुमति के बिना उक्त बताई कृषि भूमि को किसी को विक्रय एवं किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरीत नही करें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए यह वाद पत्र धारा 188 रा.का.अ. के तहत पेश हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.05.27 11:09:19 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी की ओर से श्री पवन लुहार, अभिभाषक का वकालातनामा पेश होकर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल वादी अभिभाषक को दिलाई जाकर पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना–पत्र हेतु नियत की जाने पर वादी अभिभाषक द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश किया जिसकी नकल प्रतिवादी अभिभाषक को दिलाई गई। प्रकरण में अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान् दोनो पक्षों के अभिभाषक द्वारा प्रकरण से सम्बन्धि में रूलिंग पेश करने समय चाहा गया।

नियत तिथि तक दोनों पक्षों की ओर से रूलिंग पेश नही होने पर वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, अभिलेख तथा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र एंव वादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र के जवाब का अवलोकन किया जाने पर पाया गया कि उक्त वाद की प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वर्तमान वादी एंव अन्य के मध्य पूर्व में इस न्यायालय में दर्ज प्रकरण अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिनांक 08.3.2017 को निर्णित होकर उक्त निर्णय की पालना में भूमि विभाजन अनुसार पृथक–पृथक नामान्तरकरण दर्ज हुऐ है। वर्तमान में वादी को यदि खातेदारी घोषणा करानी भी थी तो पूर्व निर्णित वाद के समय जरिये काउन्टरसुट प्रतिदावा पेश किया जाकर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी था। तथा प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा नामान्तरकरण खारीज की जो दादरसी चाही गई है जिसका नामान्तरकरण न्यायिक आदेश से सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जाने से उक्त नामातकरण को निरस्त करने का अधिकार धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधि0 में इस न्यायालय को विधि द्वारा वर्जित हैं।

अतः प्रकरण में प्रकरण में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद के विरूद्ध प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

अंजु शर्मा, RAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद के विरूद्ध प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिकी पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.5.2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

डिक्री व मुकदमे की इब्राजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : सुश्री अंजु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 141/2022

उनवान

विजय कुमार गोदपुत्र तोलाचन्द जाति पंचाल निवासी चन्दुजी का गडा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा हाल निवासी गोपीनाथ का गडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

–: वादी

बनाम

(1) श्रीमति कस्तुरी पुत्री श्री तोलाचन्द जाति पंचाल उम्र वयस्क निवासी जौलाना तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।

(2) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

–: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 21.5.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद के विरूद्ध प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिकी जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 21.5.2024 को जारी की गई।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.05.27 11:09:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

21.5.24

पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक
वकील अनावेदक की बहस एवं आदेश 7 (12 के
प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया पश्चात
प्रकरण में पृथक से निर्णय/डिक्री पारित
कर पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल
दफ्तर की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.05.27 11:09:19 IST
Reason: SelfAttested